

न्यायालय:- अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
(समक्ष:-डी0सी0 थपलियाल)

प्र0क्र0 03/2013 क्लेम

संस्थित दिनांक..05.02.2013

कमल सिंह पुत्र भगरीलाल आयु 45 वर्ष जाति
जाटव निवासी ग्राम हसेलिया का पुरा, धमसा
थाना व परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.।

.....आवेदक

बनाम

- 1- विकास श्रीवास्तव पुत्र कौशलकिशोर श्रीवास्तव
आयु 27 वर्ष निवासी दीनदयाल नगर, लैन्स
फेक्ट्री के पास थाना महाराजपुरा, जिला
ग्वालियर म.प्र.।
- 2- रामगोपाल पाल पुत्र देवी सिंह उर्फ देवीराम
पाल आयु 45 वर्ष निवासी सूर्य विहार कालौनी,
जडेरूआ रोड एन/ओ एयर टेल टावर, पिन्टू
पार्क ग्वालियर मध्यप्रदेश।
- 3- शाखा प्रबंधक नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
शाखा श्रीनाथ कॉम्प्लैक्स होटल सुरभि, नया
बाजार लश्कर ग्वालियर म.प्र.।

.....बीमाकंपनी/अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री रामबीर वघेल अधि0 ।

अनावेदक क्र0-1 व 2 द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधि0 ।

अनावेदक क्र0-3 द्वारा श्री राकेश गुप्ता अधि0

// अधि- निर्णय //

(आज दिनांक

को घोषित किया गया)

01. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 166, 140 मोटर वाहन
अधिनियम का निराकरण इस आदेश द्वारा किया जा रहा है जिसमें आवेदक ने वाहन डिस्कवर

मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 07 एम.पी.0364 के चालक, स्वामी और बीमा कम्पनी के विरुद्ध उक्त वाहन से हुई दुर्घटना में आई हुई क्षतियों के लिए क्षतिपूर्ति 16,05,000/- रुपए दिलाए जाने बावत् आवेदनपत्र पेश किया है।

02. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 23.10.2012 को दोपहर करीब 02:30 बबजे आवेदक अपने चाचा कमलसिंह पुत्र भीकाराम के साथ कीर्तन भजन गाने के लिए मेहगॉव जा रहा था रास्ते में ग्राम पलिया के पास आम रोड के किनारे पैशाब करने के लिए अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। उसी समय मेहगॉव की तरफ से अनावेदक क्रमांक 1 अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व की मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी. 07 एम.पी.0364 डिस्कवर को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसने सामने से आवेदक तथा उसके चाचा कमलसिंह को टक्कर मार दी जिससे आवेदक रोड पर गिर पड़ा। उक्त दुर्घटना में आवेदक को दाहिने तरफ कनपटीमें, आँख, मुँह और पसलियों में दाहिनी तरफ मूदी चोटें आई तथा उसके चाचा को भी चोटें आई थी। उपरौक्त दुर्घटना के संबंध में उसके चाचा कमलसिंह के द्वारा पुलिस थाना गोहद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिस पर से पुलिस थाना गोहद के द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध अपराध क्रमांक 242/12 धारा 279, 337, 338 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध किया गया जिसका अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि प्रकरण क्रमांक 1033/12 ई0फौ0 पुलिस थाना गोहद बनाम विकास श्रीवास्तव के रूप में जे.एम.एफ.सी न्यायालय गोहद में चल रहा है।

03. आवेदन के द्वारा अपने आवेदनपत्र में यह भी बताया गया है कि आवेदक ग्राम भगवासा परगना गोहद का निवासी है जो कि बड़े-बड़े सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में संगीत गायन कला में प्रदर्शन करता है जिससे वह 20,000/- रुपए प्रति माह की आमदनी अर्जित कर लेता है और इस प्रकार वार्षिक 2,40,000/- रुपए अर्जित कर लेता है जिससे कि अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। उपरौक्त दुर्घटना में उसकी दाहिने कनपटी, आँख, मुँह और पसलियों में गंभीर चोटें आई थी। उसके मुँह के जबड़े में अत्यधिक चोटें आने से और फ्रैक्चर हो जाने के कारण और दाँतों में भी चोट होने से उसे असहनीय पीडा हुई है। चोटों का निरंतर इलाज चलने के बाद भी ठीक नहीं हुई है। उसे स्थाई अशक्तता उत्पन्न हो गई है जिस कारण वह पूर्व की भाँति खड़ा होने में एवं संगीत गायन करने में असमर्थ हो गया है। उसे आजीवन शारीरिक एवं मानसिक पीडा सहन करना पड़ेगी। उसे द्वारा चोटों का इलाज गोहद एवं ग्वालियर में कराया गया जो कि इलाज में 25,000/- रुपए व्यय हुआ है एवं भविष्य में भी 15,000/- रुपए खर्च होना है। इसके अतिरिक्त स्थाई अशक्तता हेतु 15,000,00/- रुपए और शारीरिक व मानसिक पीडा के मध्य में 50,000/- रुपए कुल

16,05000/- रुपए प्रतिकर स्वरूप अनावेदक क्रमांक 1 जिसके द्वारा घटना कारित की गई है तथा अनावेदक क्रमांक 2 जो कि वाहन स्वामी है और अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी से संयुक्त व प्रथक-प्रथक रूप से उक्त राशि दिलाए जाने का निवेदन किया है।

04. अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने अपने जबाब में आवेदक के आवेदनपत्र के अभिवचनों को इंकार करते हुए यह बताया है कि अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के वाहन से किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गई और न ही आवेदक को कोई टक्कर मारी गई है। उक्त बताये गए वाहन से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है। आवेदक के द्वारा राजनैतिक आधारों पर अपने चाचा से उक्त घटना के संबंध में अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध झूठा प्रकरण कायम कराया है। ऐसी दशा में जब कि अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के वाहन मोटरसाइकिल को चलाकर कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई है। क्षतिपूर्ति अदायगी का उनका कोई दायित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त अनावेदक क्रमांक 1 के पास वाहन चलाने की वैध अनुज्ञप्ति है और वाहन बीमित है। इस आधार पर भी अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का प्रतिकर अदायगी का दायित्व नहीं है।

05— अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी ने अपने जबाब में आवेदक के आवेदनपत्र के अभिवचनों को इंकार करते हुए प्रश्नाधीन वाहन मोटर साइकिल को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर कोई दुर्घटना कारित करने से इंकार किया है। आवेदक के द्वारा आवेदन में बताई गई चोटें भी आवेदक को आई होने से इंकार किया है। आवेदन के द्वारा अपनी आमंदनी के संबंध में जो कि सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में संगीत गायन से वार्षिक आमंदनी 2,40,000/- रुपए अर्जित करने से भी इंकार किया है। आवेदक के द्वारा इलाज आदि में हुए व्यय को बढ़ा-चढ़ाकर के लिखा गया है। इसके अतिरिक्त बीमा कम्पनी के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था। इसके अतिरिक्त अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 की सहमति के बिना वाहन चलाया जा रहा था। उक्त आधारों पर भी बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व नहीं है। ऐसी दशा में आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

06. आवेदक एवं अनावेदकगण के उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गई है जिनके समक्ष निकाले गए निष्कर्ष लेखबद्ध किए हैं—

क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 23.10.12 को दोपहर 02:30 बजे आम रोड धमसा से मदनपुरा को जाने वाला रोड थाना गोहद क्षेत्र में अनावेदक क्र. 1 के द्वारा अनावेदक क्र. 2 की स्वामित्व की मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी. 07 एम.पी.0364 डिस्कवर को तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक को टक्कर मारकर गंभीर उपहति करित की?	
2	क्या उपर्युक्त घटना में आई चोटों के फलस्वरूप आवेदक को स्थाई असक्तता कारित हुई?	
3	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन मोटर साइकिल मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर चलाई जा रही थी? यदि हाँ तो प्रभाव?	
4	क्या आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है? यदि हाँ तो किस से व कितना कितना?	
5	सहायता एवं व्यय?	

∴- निष्कर्ष के आधार-∴

विंदु क्रमांक 1 का सकारण निष्कर्ष:-

07. आवेदक कमलसिंह पुत्र भगरीलाल आवेदक साक्षी क्रमांक 1 ने अपने साक्ष्य कथन में उसके द्वारा किए गए अभिवचनों का समर्थन करते हुए बताया है कि दिनांक 23.10.2012 को अपने चाचा कमलसिंह भोगीराम के साथ भजन गाने के लिए जा रहा था। रास्ते में ग्राम पलिया के पास आम रोड के किनारे पैशाब करने के लिए गाड़ी खड़ी कर दी तो उसी समय मेहगाँव की तरफ से अनावेदक क्रमांक 1 अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व की मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी. 07 एम.पी.0364 डिस्कवर को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और सामने से उसे व उसके चाचा कमलसिंह को टक्कर मार दी जिससे वह रोड पर गिर पड़ा। दुर्घटना में उसके दाहिने तरफ कनपटी, मुँह, आँख तथा पसलियों में दाहिनी तरफ गंभीर चोटें आई और उसके दाँतों का इलाज अभी तक चल रहा है। आवेदक ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में प्रस्तुत अभियोगपत्र से प्राप्त अभिलेखों की सत्यप्रतिलिपि पेश की है जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1, नक्शा मौका प्र.पी. 2, सम्पत्ति

जप्ती पत्रक प्र.पी. 3, एम.एल.सी. रिपोर्ट प्र.पी. 4, एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 5, वाहन का मैकेनिकल जॉच प्रतिवेदन प्र.पी. 6, सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 7 तथा अभियोगपत्र की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 8 पेश की है तथा चोटों के संबंध में कराये गए इलाज के बिल एवं पर्चे प्र.पी. 9 लगायत 23 पेश किये हैं।

08. प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया है कि घटना की रिपोर्ट थाने पर उसके चाचा कमलसिंह ने की थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बात बताई है कि प्र.पी. 1 की रिपोर्ट में मोटर साइकिल का नम्बर लिखा था। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मोटरसाइकिल के नम्बर का उल्लेख न होकर अज्ञात मोटर साइकिल से दुर्घटना होना बताई गई है। इस संबंध में साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में बताया गया है कि जब मोटर साइकिल पकड़ी गई थी तब पुलिस वालों ने नम्बर बताया था और पुलिस वालों से ही उसे मोटरसाइकिल का नम्बर पता चला था। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसकी किसी मोटर साइकिल से टक्कर नहीं हुई थी तथा इस सुझाव से भी इंकार किया है कि वह मोटर साइकिल चलाना नहीं जानता था जिस कारण फिसलकर गिर पड़ा था। इस संबंध में यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में मोटर साइकिल के नम्बर का उल्लेख नहीं है। अज्ञात मोटर साइकिल उसमें लिखाई गई है, किन्तु यह स्वभाविक है कि दुर्घटना के समय मोटर साइकिल के नम्बर को आवेदक न देख पाया हो जो कि चोट लगने से स्वभाविक भी लगता है। ऐसी दशा में यदि बाद में उसे मोटर साइकिल का नम्बर पता चला हो और वह मोटर साइकिल का नम्बर बता रहा हो इस बिंदु का इससे अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं है।

09. आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी कमलसिंह पुत्र भोगीराम साक्षी क्रमांक 2 ने भी आवेदक के द्वारा किया गये कथनों का समर्थन करते हुए बताया है कि मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी. 07 एम.पी. 0364 के ड्राइवर ने तेजी व लापरवाही से चलाकर सामने से उसे एवं उसके भतीजे कमलसिंह को टक्कर मार दी थी जिससे वह और कमलसिंह गिर पड़े थे और उसके भतीजे कमलसिंह को दाहिनी तरफ कनपटी, आँख, मुँह में गंभीर चोट आई और उसका जबड़ा फ्रेक्चर हो गया था तथा उसे भी पिंडली में मूदी चोट आई थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि कमलसिंह को मोटरसाइकिल चलानी नहीं आ पाती, इस कारण उससे मोटर साइकिल गिर गई थी। साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि थाने पर अज्ञात वाहन के खिलाफ रिपोर्ट की थी, किन्तु इस सुझाव से इंकार किया है कि अज्ञात वाहन के खिलाफ रिपोर्ट इसलिए की थी कि क्लेम मिल जाए। जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी वह वाहन 2-3 मिनट खड़ा रहा था और उसने वाहन को

अच्छी तरह से देख लिया था। यद्यपि वाहन का नम्बर न पढ़ पाया था। मोटर साइकिल का नम्बर अशोक के द्वारा 2-3 दिन बाद उसे बताना साक्षी ने अभिकथित किया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटना की रिपोर्ट वर्तमान साक्षी कमलसिंह के द्वारा की गई है। उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन के नम्बर का उल्लेख नहीं है। जैसा कि साक्षी ने भी इस बात को अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि दुर्घटना में वर्तमान आवेदक को भी चोट आना बताया गया है। साक्षी अधिक पढ़ा-लिखा भी नहीं है केवल हस्ताक्षर करना जानता है। ऐसी दशा में यदि वह घटना के समय वाहन का नम्बर नोट न कर पाया हो तो इससे कोई विपरीत अवधारणा नहीं की जा सकती।

10. आवेदक के प्रकरण में बताये गये प्रश्नाधीन वाहन मोटर साइकिल के चालक के द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करना एवं दुर्घटना में आवेदक कमलसिंह पुत्र भगरीलाल को चोटें आकर गंभीर उपहति कारित होने की पुष्टि आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जो कि आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1033/12 से प्राप्त दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि से भी हुई है, जिनमें कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1, अपराध विवरण फॉर्म प्र.पी. 2, सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 जिसके अनुसार प्रश्नाधीन मोटरसाइकिल व उसके कागजातों की जप्ती की गई है। आहत का चिकित्सीय परीक्षण प्र.पी. 4, एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 5, वाहन की मैकेनिकल जाँच प्र.पी. 6, वाहन का सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 7 जिसके अनुसार उक्त वाहन को अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा सुपुर्दगी पर लिया गया है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी. 8 के दस्तावेजों से इस बात की पुष्टि करते हैं कि घटना के पश्चात् रिपोर्ट होने पर प्रकरण की विवेचना के दौरान प्रश्नाधीन मोटरसाइकिल के चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाए जाने के फलस्वरूप दुर्घटना कारित किए जाने का तथ्य प्रमाणित पाये जाने पर अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 का अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त मोटर साइकिल को अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा सुपुर्दगी पर लिया गया है।

11. यह उल्लेखनीय है कि आवेदक पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरौक्त साक्ष्य के प्रतिखण्डन में अनावेदक पक्ष की ओर से कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। यहाँ तक कि प्रश्नाधीन मोटरसाइकिल को चलाने वाले अनावेदक क्रमांक 1 के कथन भी अनावेदक पक्ष की ओर से नहीं कराये गए हैं जो कि इस संबंध में सर्वोत्तम साक्षी हो सकता था। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अनावेदक पक्ष प्रश्नाधीन मोटरसाइकिल को घटना में झूठा लिप्त किया जाना के संबंध में अभिकथन कर रहा है, किन्तु अनावेदक क्रमांक 1, 2 के द्वारा विवेचना के दौरान पुलिस कार्यवाही में उनकी मोटरसाइकिल को लिप्त होना पाया जाना तथा विवेचना पूर्ण

होने पर उपरौक्त अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध अभियोगपत्र पेश किया जाना के उपरांत भी अनावेदक पक्ष के द्वारा कहीं भी संबंधित थाने में अथवा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को या संबंधित दांडिक न्यायालय में इस आशय की कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है कि उनके वाहन को घटना में झूठा लिप्त किया गया है। निश्चित तौर से यदि वाहन को घटना में झूठा लिप्त किया गया हो तथा गलत कार्यवाही वाहन के खिलाफ होने के संबंध में अनावेदक पक्ष कहीं न कहीं अपना पक्ष उठाता, किन्तु ऐसा कहीं भी दर्शित नहीं होता है।

12. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के अभिभाषक ने मुख्य रूप से व्यक्त किया कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात वाहन के खिलाफ हुई हो। घटना घटित होने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताये गये तथ्य क्लेम आवेदनपत्र में नहीं है बल्कि उसमें अन्य तथ्य बताये जा रहे हैं। ऐसी दशा में बिना किसी आधार के प्रश्नाधीन वाहन मोटरसाइकिल को घटना में लिप्त होना बताया जा रहा है जो कि उक्त तथ्य प्रमाणित नहीं है। बीमा कंपनी के द्वारा लिये गये उक्त आधारों का जहां तक प्रश्न है किन्तु इस संबंध में जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि उपरौक्त दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना की जाने के संबंध में अनावेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से उक्त तथ्य प्रमाणित होना पाया गया है। ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अज्ञात वाहन उल्लेख है, कोई विपरीत अवधारणा नहीं की जा सकती। बीमा कंपनी के द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रतिखण्डन स्वरूप इस बिन्दु पर पेश नहीं की गयी है जिससे कि आवेदनपत्र में बताये गये घटनाक्रम प्रतिखण्डित होता हो। मात्र इस आधार पर कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुछ भिन्नता आयी है इस संबंध में कोई विपरीत अवधारणा करने का आधार नहीं हो सकता।

13. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व के वाहन मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी. 07 एम.पी. 0364 को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की है। उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आवेदक को चोटें आकर गंभीर उपहति कारित होना भी साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना पाया जाता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर हाँ में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 2 :-

14. वर्तमान बिन्दु को प्रमाणित करने का भार आवेदक पर है। जिस संबंध में आवेदक कमलसिंह अ0सा0 1 के द्वारा बताया गया है कि दुर्घटना में उसे शरीर में कई जगह

चोटें आई थी। जिनमें मुँह के जबड़े में अत्यधिक चोट होने के कारण और फ्रेक्चर होने से दाँतों की पूरी बत्तीसी का निरंतर इलाज कराया गया और उसे असहनीय पीडा हो रही है। पूर्व की भाँति खडा होने और संगीत गाने में भी वह असमर्थ हो गया है। चोटों के कारण वह स्थाई रूप से असमर्थ हो गया है।

15. आवेदक को उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप स्थाई असक्तता कारित होने का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में आवेदक के द्वारा स्थाई असक्तता का कोई भी प्रमाणपत्र पेश नहीं किया गया है और न ही किसी भी चिकित्सक का परीक्षण कराया गया है जिससे कि उसे स्थाई असक्तता आने का तथ्य प्रमाणित होता हो। यद्यपि आवेदक को दुर्घटना में आई चोटों से फ्रेक्चर आँख के उपर पेराइटल रीजन के बीच अस्थिभंग होने का उल्लेख आया है, किन्तु मात्र उक्त अस्थिभंग के आधार पर आवेदक को कोई गंभीर उपहति कारित होने का तथ्य नहीं माना जा सकता। ऐसी दशा में दुर्घटना के फलस्वरूप आवेदक को स्थाई असक्तता कारित होने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर नहीं में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 3 :-

16. वर्तमान बिन्दु को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी पर है, जिनके द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं था जिस कारण बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लघन होने से बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी का कोई दायित्व नहीं है। इस बिन्दु पर अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। जबकि उक्त बिन्दु को प्रमाणित करने का भार बीमा कम्पनी पर है। ऐसी दशा में जब कि अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा इस बिन्दु पर कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। यह बिन्दु प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन मोटरसाइकिल मोटरयान अधिनियम एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लघन कर चलाई जा रही थी। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण का उत्तर नहीं में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 4 :-

17. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा अनावेदक क्रमांक-2 के स्वामित्व की वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाने के फलस्वरूप दुर्घटना कारित की है। उक्त वाहन घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कम्पनी के यहां बीमित था जो कि इस संबंध में बीमा कम्पनी के द्वारा बीमा की मूल पॉलिसी

प्र0डी01 पेश की गयी है । जो कि अनावेदक के द्वारा स्वीकार की गयी है ।

18. आवेदक को दुघटना के फलस्वरूप आयी हुयी चोटों के फलस्वरूप प्रतिकर की राशि का जहां तक प्रश्न है इस संबंध में स्पष्ट है कि आवेदक कमलसिंह को कोई स्थायी असक्तता कारित होना प्रमाणित नहीं है। यद्यपि आवेदक को अस्थि भंग होना पाया गया है । उसके जबड़े में या दांतों में किसी प्रकार की अस्थि भंग या दांतों का टूटना नहीं पाया गया है। ऐसी दशा में आवेदक को उक्त दुघटना के कारण कोई स्थायी असक्तता कारित होना या उसकी गाने या बजाने की शक्ति छीर्ण होने के संबंध में कोई प्रतिकर प्रदान किया जाना उचित नहीं है ।

19. जहां तक आवेदक को आयी हुयी चोटों के कारण चोटों के ईलाज में आये हुये खर्च तथा अन्य मदों में क्षतिपूर्ति की राशि दिलाये जाने का प्रश्न है । निश्चित तौर से आवेदक के द्वारा उसे आयी हुयी चोटों का ईलाज कराया है । जो कि उसने ईलाज के प्र0पी0 9 लगायत 21 के पर्चे एवं बिलों से स्पष्ट होता है । आवेदक के द्वारा ईलाज के संबंध में जो बिल और पर्चे पेश किये गये हैं उनकी राशि 1993 रुपये की है । जो कि राउण्ड फिगर में 2000/- रुपये आवेदक को दिलाया जाना उचित है । इसके अतिरिक्त आवेदक जिसे कि अस्थि भंग भी हुआ है उसकी दिनांक 26-10-12 से 10-12-12 के बीच जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर में ईलाज भी कराया है । निश्चित तौर से ईलाज के दौरान उसे आने जाने में व्यय हुआ होगा तथा उसे पोस्टिक आहार का भी सेवन करना पडा होगा और शारीरिक व मानसिक कष्ट भी सहन करना पडा होगा । उक्त सभी मदों में आवेदक को प्रतिकर के रूप में 22000/-रुपये की राशि दिलाया जाना उचित होगा । इसके अतिरिक्त आवेदक जिसके द्वारा निश्चित आमदनी का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है । वह मजदूरी आदि करके एक महीने में 3000/-रुपये तक अर्जित कर सकता था और चोटों के कारण दो माह वह अपनी मजदूरी आदि का कार्य नहीं कर पाया होगा । इस प्रकार दो माह के आमदनी के नुकसान के मद् में 6000/- रुपये प्रतिकर के रूप में दिलाया जाना उचित होगा । इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि 30000/- तीस हजार रुपये दिलाया जाना समुचित एवं उचित प्रतिकर होगा जिस पर कि दावा प्रस्तुति दिनांक से बसूली दिनांक तक उक्त राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिलाया जाना उचित होगा ।

20. उपरोक्त प्रतिकर की राशि अदायगी का जहां तक प्रश्न है । प्रश्नाधीन वाहन जो कि अनावेदक क्रमांक-2 के स्वामित्व की थी ओर अनावेदक क्रमांक-1 के द्वारा चलाया जा रहा था और अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी के यहां बीमित था । ऐसी दशा में जबकि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होना नहीं पाया गया है उक्त प्रतिकर की राशि अदायगी का

दायित्व अनावेदक क्रमांक-1,2,3 का संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से होगा जो कि वाहन बीमित होने से प्रथम दायित्व अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी पर आयेगा । तदनुसार आवेदक अनावेदकगण से संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से 30000/-प्रतिकर की राशि प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है और उक्त प्रतिकर की राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से बसूली दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वह पाने का अधिकारी पाया जाता है ।

सहायता एवं व्यय:-

21- उपरोक्त विवेचना एवं विप्लेषण एवं पूर्ववर्ती वाद प्रश्नों पर निकाले गये निष्कर्षों के आलोक में आवेदक की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका आवेदनपत्र आंशिक रूप से प्रमाणित पाया जाता है तथा इस संबंध में निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता है :-

1-आवेदक अनावेदकगण से संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से 30000/-प्रतिकर की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ?

2-उक्त राशि पर आवेदक अनावेदकगण से दावा प्रस्तुति दिनांक से बसूली दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी पाने का अधिकारी है ?

3-उक्त राशि जमा होने पर उसका 50 प्रतिशत भाग आवेदक के नाम दो वर्ष के लिये सावधि खाते में तथा शेष 50 प्रतिशत भाग उसे बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान किया जाये ?

4-अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगा ?

तदनुसार जय पत्र तैयार किया जाये ।

अवार्ड खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी0सी0 थपलियाल)

अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0 थपलियाल)

अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
गोहद जिला भिण्ड